

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर, मुकाम...खीवसर...

जसीकवर बनाम मूलसिंह

किस्म मुकदमा...राजस्व वाद बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरुस्ती व स्थाई

निषेधाज्ञा वाद अधीन धारा 53,88,89,188 आरटीएक्ट

मु. नं.../6) .सन्..2017.

| | | |
|------|--|--|
| हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज 22.12.2017 | नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए |
| | <p>वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा वाद अधीन धारा 53,88,89,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । जो दर्ज रजिस्टर हो, तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.02.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर खीवसर</p> <p>8/2/18 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित</p> <p>पीसीन अधिका के प्रिपिंग में भ्रमण/स्थानान्तरण को चुकाने का आदेश पर गये हुये है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 3/5/18 को प्रस्तुत हो।</p> <p>16/4</p> <p>अदालत में एक काम पेशित, विचारण उपस्थित / अनुपस्थित। प्रकरण का आदेश अदालत में प्रेषण करने हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। प्रकरण लाक अदालत में प्रेषण किया जात है। पत्रावली दिनांक 2/5/18 को अदालत के माध्यम से प्रेषित है।</p> <p style="text-align: center;">अध्यक्ष अदालत खीवसर</p> <p>15</p> <p>प्रकरण आज राजस्व लाक अदालत आपके द्वार, कम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारान को प्रकरण रजिनामा करने हेतु समझाया गया। पक्षकारान को प्रकरण में रजिनामा हेतु सहमति नहीं है। प्रकरण न्यायलय में दिनांक 12/5 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">पीसीन अधिकारी आपके द्वार कम्प कोर्ट</p> <p>13/5</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित</p> <p>पीसीन अधिका के प्रिपिंग में भ्रमण/स्थानान्तरण को चुकाने का आदेश पर गये हुये है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 4/5/18 को प्रस्तुत हो।</p> | |

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

19/5/22


पत्रावली पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में /
अवकाश/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/
अवकाश पर गये हैं। पत्रावली आगामी
दिनांक को 21/7/22 को पेश होगी।

21/7/22

पत्रावली पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में /
अवकाश/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/
अवकाश पर गये हैं। पत्रावली आगामी
दिनांक को 10/11/22 को पेश होगी।

10/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप
वादी रूप प्रिविवादी गण के बार-बार
अज्ञात की गयी, फार गैर हाजिर
कर उनके विरुद्ध एड पसीय आर्थवाही
अमल में लगी जाती हैं। बार-बार
अज्ञात देने से पट्टवार की डोई
भी (वादी-प्रिविवादी गण) उप नही उभर
इलायत उस प्रकार को अदम-पैरवी कसम
हाजरी के खारिज किया जाया है। वादी
के विवेक पर उन Re-open किया जा सकता
है। पत्रावली फौजल कुमार लेखर को
आज्ञा दाखिल किया है।


सहायक क्लर्क
(एस.डी.ओ.) खीसर